Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मनरेगा का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव : कोटा जिले का अनुभवमूलक अध्ययन

डॉ. अंजना जाटव*

* अतिथि संकाय (भूगोल) (वि.स.यो) राजकीय महाविद्यालय, तालेड़ा (बूंदी) (राज.) भारत

शोध सारांश – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक योजना है, जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। इस शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र कोटा जिले से चयनित उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण किया गया है जिसमें मनरेगा से प्राप्त आय का उपयोग के प्रकार एवं मनरेगा के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और निर्णय लेने की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। शोध के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार यह योजना महिला सशक्तिकरण में मददगार सिद्ध हो रही है।

शब्द कुंजी – मनरेगा, ग्रामीण, सशक्तिकरण, आर्थिक, स्वावलम्बन।

प्रस्तावना – भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का मत था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं द्वारा हासिल की गई उन्नति के आधार पर किया जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और प्रगति इस विचार को और अधिक प्रासंगिक बनाती है। किसी व्यक्ति या समुदाय का अपने परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करनाए अपने अधिकारों की समझ विकसित करनाए लक्ष्यों को प्राप्त करना और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने की क्षमता ही सशक्तिकरण का मूल तत्व है।

महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें। भारत अपनी समृद्ध संस्कृतिए परंपराओंए धर्म और सभ्यता के लिए प्राचीन समय से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन साथ ही यह लंबे समय तक एक पुरुष प्रधान समाज के रूप में भी पहचाना जाता रहा है।भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है जिसमें पूरी जनसंख्या का आधा भाग (48 प्रतिशत) महिलाओं का है और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले है जिनका प्रमुख व्यवसाय खेतीबाड़ी/ कृषि है।

महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिएए स्वतंत्रता के बाद से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकासए कृषि उत्पादकता में वृद्धि, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार और रोजगार उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया। इन प्रयासों में प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं जैसे, स्त्री शक्तिए राष्ट्रीय महिला कोश, प्रियदर्शिनी, स्वधार, स्वयंसिद्ध, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के विकास हेतु DWACRA और STEP महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति, पंचायती राज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, जननी सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) इन सभी योजनाओं के बावजूद महिला सशक्तिकरण की प्रगति को लेकर ठोस प्रमाण सीमित हैं। हालांकिए पिछले एक दशक में मनरेगा ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे विभिन्न शोधों और साहित्यिक प्रमाणों से पुष्टि मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA)को 23 अगस्त 2005 को कानून के रूप में पारित किया गया और 7 सितंबर 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इस योजना को पहली बार 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू किया गया था। इस परियोजना के प्रमुख संरचनात्मक योजनाकार बेल्जियम के अर्थशास्त्री श्रीमान जोन ड्रेज थे, जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस परियोजना को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है और इसे देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना माना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करना है, जिसके तहत मांग के अनुसार न्यूनतम 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। यह योजना न केवल रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हैए बल्कि उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजनए पर्यावरण संरक्षण, विकास कार्यों को बढ़ावा देने, स्थायी संपत्तियों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निवेश और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन जैसे उद्देश्यों की पूर्ति में भी योगदान देती है।

इसके अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार और कार्य संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं को भी एकीकृत किया गया है। इस अधिनियम को पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया, जिसके बाद 2007.08 में इसे 130 अतिरिक्त जिलों तक विस्तारित किया गया। अंततः 1 अप्रैल 2008 से इसे शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। बाद में, 2 अक्टूबर 2009

को इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

इस अधिनियम में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत एक तिहाई लाभार्थियों में महिलाएं होनी चाहिए साथ ही जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं उनके लिए कार्यस्थल के पास बच्चे की देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य किया गया है।महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन का अधिकार दिया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर मनरेगाके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

शोध उद्देश्य एवं विधितन्त्र – प्रस्तुत शोध पत्र मनरेगा का महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का विश्लेषण करता है।अध्ययन क्षेत्र में इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना है। यह शोधपत्र अनुभवमूलक शोध कार्य हैए शोध के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध स्रोतों का प्रयोग किया गया है। शोध कार्य हेतु आवश्यक द्वितीयक आंकड़ों का संकलन विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनों, आलेखों एवं राजकीय विभागों की आधिकारिक वेबसाइट्स से किया गया हैए वहीं प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कोटा जिले की लाडपुराब्लॉक की तीन ग्राम पंचायतों से 15.15 मनरेगा महिला श्रमिकों का उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया। चयनित महिला उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से मनरेगा से प्राप्त आय का उपभोग एवं उसके प्रभाव सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गयी। संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत आंकड़ों को तालिका एवं आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है।

विश्लेषण – उत्तरदाताओं से मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय के उपयोग के विषय में सूचनाओं का संकलन किया गया संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1 : मनरेगा से प्राप्त आय का उपयोग

क्र.	खर्च का मद	संख्या	प्रतिशत
1	भोजन सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति में सहायक	17	37.78
2	घरेलू संसाधनों/परिसम्पतियों का निर्माण में	18	40.00
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च	20	44.44
4	बच्चों की शिक्षा पर खर्च	28	62.22
5	विशेष अवसरों पर खर्च	10	22.22
6	दैनिक खर्च में	15	33.33
7	बचत	9	20.00

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनरेगा में कार्य करने वाली महिलाओं को मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में करती है।कुल महिला उत्तरदाताओं में से 17 (37.78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया की वे मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग घर में भोजन सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति में करती है। इसके अंतर्गत घर में खाने पीने के सामान के साथ सब्जी दूध को खरीदने में भी उनकी यह आय काम आती है जिससे उनकी भोजन स्मसबन्धी आवश्यकता पूर्ति होती है। इसी प्रकार 18 (40.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि वे मनरेगा से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग घरेलू काम आने वाली वस्तुओं को क्रय करने में करते है। जिनमें रसोई में काम आने वाले बर्तनए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य सामान शामिल रहते हैं।

आरेख : 1

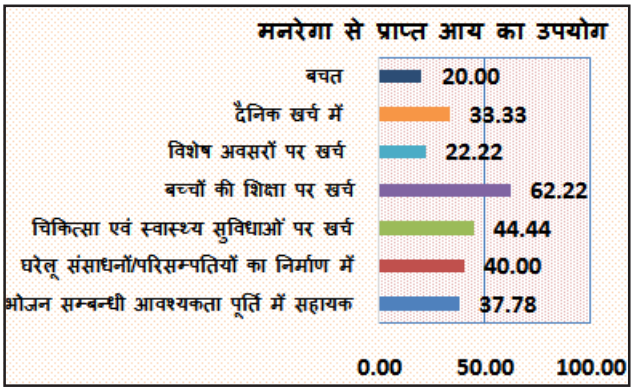

मनरेगा से प्राप्त होने वाली मजदूरी का 20 (44.44 प्रतिशत)उत्तरदाताओं द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है जिसमे वे स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए दवाई आदि के खर्चे पूर्ति करते है। इसी प्रकार 28 (62.22 प्रतिशत) उत्तरदाताओंने बताया कि वे मनरेगा मजदूरी से प्राप्त आय का उपयोग बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी कार्यों पर करते है जिनमें उनकी विद्यालय फीस, कोचिंग फीसए स्टेशनरी एवं आवागमन आदि के खर्चे पूर्ति करते है।कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से 10 (22.22 प्रतिशत) मनरेगा से प्राप्त मजदूरी के पैसों का उपयोग विशेष अवसरों जैसे शादी विवाह की खरीदारी एवं त्यौहार आदि के अवसरों पर खर्च करते है जबकि 15 (33.33 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा मनरेगा से प्राप्त होने वाली मजदूरी का उपयोग दैनिक खर्च में करते हैं। कुल सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में से मात्र 9 (20 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा ही मनरेगा मजदूरी को बचत के रूप में जमा रखा जाता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मनरेगा में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय का उपयोग विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पृति में किया जाता है जिनमें सर्वाधिक उत्तरदाता अपने बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी खर्चों की पूर्ति के लिए करते है कुछ उत्तरदाताओं द्वारा अपने भविष्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बचत के रूप में जमा भी किया जाता है।मनरेगा से महिला श्रमिकों को केवल आर्थिक सम्बल मिला है बल्कि इसके कई अन्य प्रभाव भी देखे गये। मनरेगा ने महिला श्रमिकों को न केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक लाभ मिला है बल्कि इसके कई दूरगामी परिणाम भी देखने को मिले है। अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से महिला श्रमिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से इस विषय पर सूचनाओं का संकलन किया गया। संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2 : मनरेगा की आय के प्रभाव

क्र.	उपयोग का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता में कमी	32	71.11
2	श्रम सम्बन्धी शोषण में कमी	25	55.56
3	पारिवारिक आय में वृद्धि	40	88.89
4	कर्ज पर निर्भरता में कमी	29	64.44

5	पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी में वृद्धि	41	91.11
6	सामाजिक भागीदारी में वृद्धि	35	77.78
7	आत्म सम्मान में वृद्धि	29	64.44
8	आर्थिक सक्षमता	12	26.67

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

अध्ययन क्षेत्र में महिला श्रमिकों पर मनरेगा के कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिले है। तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा के कारण महिला श्रमिकों की अपने पति या परिवार के सदस्यों पर निर्भरता में कमी आयी है क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 32 (71.11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बताया कि मनरेगा में कार्य करने से वे आर्थिक रूप से सक्षम और स्वावलम्बन मिला है जिसका परिणाम ये हुआ है कि वे आर्थिक रूप से अपने पति या परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हई है। इसी प्रकार क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 25 (55.56 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के बताया कि मनरेगा में कार्य से उनका श्रम सम्बन्धी शोषण कम हुआ है आज वे स्वतंत्र रूप से अपने द्वारा किये गये कार्य का भुगतान प्राप्त करती है। यह सब मनरेगा में रोजगार सम्बन्धी गारंटी मिलने के कारणही सम्भव हुआ है।

मनरेगा में महिला श्रमिकों निर्धारित भागीदारी सुनिश्चित होने के कारण पारिवारिक आय में भी वृद्धि सम्भव हुई है।क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 40 (88.89 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा में रोजगार सम्बन्धी गारंटी कानून के कारण उनकी आय निश्चित हुई है जिससे उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है।इसी प्रकार महिला श्रमिकों ने बताया कि मनरेगा के कारण उनकी आय निश्चित होने से उनकी कर्ज पर निर्भरता कम हुईहैए इस सन्दर्भ में 29 (64.44 प्रतिशत) महिला श्रमिक उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा में कार्य करने से पहले उन्हें अपने विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पादित करने के लिए समय समय पर विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेना पड़ता था परन्तु अब उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिला गयाहै क्योंकि मनरेगा से निश्चित आय प्राप्त हो जाती है।

आरेख : 2

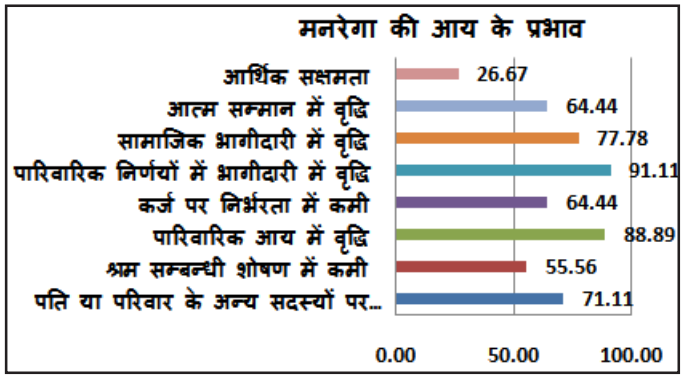

मनरेगा में कार्य करने से महिलाओं पर सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा है कि उनकी पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है,41 (91.11 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा के कारण उनको आर्थिक स्वावलम्बन मिला है जिससे परिवार में उनकी महत्ता बढ़ी है जिसके कारण अब परिवार के हर छोटे बड़े कार्य में उनकी भागीदारी पुरुषों के समान हुई है।इसी प्रकार 35 (77.78 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा से आर्थिक स्वावलम्बन होने सामाजिक कार्यक्रमों में भी महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है।

मनरेगा के प्रभावों में महिलाओं में व्यक्तिगत रूप से यह भी देखने में आया है कि उनके आत्म सम्मान में वृद्धि हुई है 29 (64.44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा में कार्य करने से उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ जिससे कई अन्य प्रभाव भी हुए है जिसके परिणामस्वरूप उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है। साथ ही 12 (26.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना है कि मनरेगा के कारण उनमें आर्थिक सक्षमता में वृद्धि हुई है जिससे उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ी है। इस प्रकार मनरेगा से न केवल रोजगार प्राप्त हुआ है बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर अनेकों सकारात्मक प्रभाव भी पड़े है।

निष्कर्ष – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना हैए तथा इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के मजदूरी-रोजगार की गारंटी ग्रामीण परिवार को दी जाती हैए जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार होते हैं।मनरेगा ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है बल्कि उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत स्थिति भी मजबूत हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, धर्मराज (2019) भारत निर्माण एवं मनरेगा, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. Dreze, Jean, & Khera, Reetika. (2017). Rural Employment Guarantee Programme in India: Impact and Challenges. Oxford University Press.
3. Ministry of Rural Development, Government of India. (2021). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) Annual Report 2020-21.
4. Khera, Reetika. (2011). India's Public Works Program: The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) – An Assessment. Economic and Political Weekly, 46(50), 36-44
5. Azam, Mehtabul. (2012). The Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme on Wages, Labor Supply, and Poverty in Rural India. World Bank Working Paper.
6. www.censusindia.gov.in
7. https://nrega.nic.in/stHome.aspx
8. https://nrega.rajasthan.gov.in/

****